



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15102026-277163
CG-MH-E-15102026-277163

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5417]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 14, 2026/आश्विन 22, 1948

No. 5417]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2026/ASVINA 22, 1948

रेल मंत्रालय
(मध्य रेलवे)
अधिसूचना

मुंबई, 12 अक्टूबर, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 37A के तहत

का.आ. 5631(अ).— केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) खंड 2 की धारा 37A के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मध्य रेलवे के अंतर्गत “चौक-कर्जत दोहरीकरण (10.86 किमी)” “विशेष रेलवे परियोजना” के रूप में रेलवे परियोजना को भूमि अधिग्रहण करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिला में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित करने हेतु, विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. G197/Chouk-Karjat Doubling (10.86 Km)/SRP/37A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Central Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, 12 October, 2026

Under clause 37A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 5631(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of The Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies **“Chouk-Karjat Doubling (10.86 Km)”** as Railway project under Central Railway, under **“Special Railway Project”** for acquisition of land in **Raigad District** of Maharashtra State for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. G197/Chouk-Karjat Doubling (10.86 Km)/SRP/37A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)